बालासुब्रमण्य एवं अन्य

बनाम

रमैया थोंडमन

14 दिसंबर, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

भूमि कानून:

पट्टा धारकों से खरीद के आधार पर सम्पत्ति पर स्वत्व का दावा-अभिनिर्धारित: यह मान्य नहीं है क्योंकि पट्टा धारकों ने स्वयं बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष स्वीकार किया है कि उन्हें पट्टा गलत अनुदत्त किया गया था-राजस्व अभिलेख दर्शाता हैं कि वादग्रस्त सम्पत्ति का प्रतिवादीया के द्वारा लगातार उपभोग किया गया था और उसके पति के द्वारा किश्तें अदा की गयी थीं-फिर भी पट्टे का अनुदत्त किया जाना दस्तावेज के आधार पर स्वत्व नहीं माना जा सकता।

वादी-प्रत्यर्थी ने स्वामित्व की घोषणा एवं प्रतिवादीया को उसके कब्जे में दखल करने से प्रतिषेध करने हेतु निषेधाज्ञा और विकल्प में वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जे हेतु बाद दायर किया। वादी ने यह दावा किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति ''आर'' में से एक और उसकी पुत्री ''एन'' जो कि पट्टा धारक थी, से खरीदी थी। प्रतिवादीया का मामला था कि वाद की भूमि का

''आर'' और ''एन'' को बंदोबस्ती पट्टा गलत रूप से जारी हुआ था और वादी के पक्ष में विक्रय धोखाधडी से हुआ था क्योंकि गांव का कर्णम वादी का भाई था जिसने अपने भाई की विक्रय विलेख तैयार करने में सहायता की और जब प्रतिवादीया के पति को वादग्रस्त सम्पत्ति के पट्टे गलत रूप से जारी होने के बारे में जानकारी हुई तो उसने अपने पक्ष में पट्टा अंतरित करने के लिए बंदोबस्त प्राधिकारियों के समक्ष प्रार्थना-पत्र दायर किया।'' ''

स्वीकार किया कि उसका और उसकी पुत्री ''एन'' का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई कब्जा/स्वत्व नहीं था और वादग्रस्त सम्पत्ति का पट्टा उनको गलत जारी किया गया था और उन्होंने वादग्रस्त सम्पत्ति के अंतरण की सहमति दी थी।

विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री किया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने डिक्री को अपास्त किया। अपील पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को पुर्नस्थापित किया। इस प्रकार वर्तमान अपील पेश हुई।

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति दी गयी।

अभिनिर्धारित किया: 1.1. वादी ने प्रदर्श ए-1 विक्रय विलेख को इस हद तक स्वीकार किया कि उसने वादग्रस्त सम्पत्ति को ''आर'' और ''एन'' से क्रय किया था जैसा कि प्रतिवादीया ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी के स्वत्व

से इंकार किया, वादी का यह दायित्व था कि वह अपनी स्वीकार्य साक्ष्य के द्वारा अपने मामले को साबित करे।

निश्चित रूप से वादी ने उसके विक्रेताओं को यह दर्षाने के लिए कि उसे बेची गयी सम्पत्ति का मालिकाना हक प्रदर्ष ए-1 के जरिये कैसे मिला परीक्षित नहीं कराया गया दूसरी ओर प्रतिवादीया ने नोटिस प्रदर्ष बी-19 जो कि वादी के विक्रेताओं के द्वारा जारी किया गया था तर्क दिया कि वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादीया के कब्जे में थी ना कि वादी के विक्रेताओं के निचली अपीलीय न्यायालय ने प्रदर्ष बी-19 के परिषीलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वादग्रस्त सम्पत्ति का लगातार किष्तें अदा कर उपभोग प्रतिवादीया एवं उसके पति के द्वारा किया गया था। साक्ष्य के आधार पर आगे यह भी दर्षित किया गया कि तथाकथित आर और उसकी पुत्री के द्वारा वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया और यह आर की वृद्धावस्था के आधार पर प्राप्त किया गया था। इस बात पर भी प्रकाष डाला गया कि ''एन'' को इस प्रकृति के संव्यवहार की जानकारी नहीं थी। रैयतवाडी पट्टा अनुदान की कार्यवाही में बंदोबस्त अधिकारी ने ग्रामीणों से आपत्ति मांगे जाने हेतु अधिसूचना जारी की थी जिसकी कार्यवाही में बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा धारा 370 मामलों के संबंध में राजस्व अभिलेखों का सत्यापन करके स्वतः जांच की गयी और फॉर्म पांच कथन जो कि प्रतिवादीया के पति के संदर्भ में थे, तैयार किये गये। इन

तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीया का मामला मजबूत होता है कि उसके पति के द्वारा वाद सम्पत्ति का स्वत्व प्राप्त किया गया। सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष एक याचिका वादी के विक्रेताओं को जारी किये गये पट्टे में त्रुटि सुधार बाबत् प्रस्तुत की गयी थी। इस संदर्भ में आर व्यक्तिषः उपस्थित हुआ और अधिकारी को सूचित किया कि यदि प्रतिवादीया के पति के पक्ष में वाद सम्पत्ति का पट्टा परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है फि भी पट्टे का जारी किया जाना दस्तावेज के आधार पर स्वत्व नहीं माना जा सकता। पट्टे की कार्यवाही और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पट्टा जारी किये जाने के अंतिम आदेष को इस प्रकार की साक्ष्य के रूप में उपयोग लिया जा सकता है जो कि वाद की विषय वस्तु वाली सम्पत्ति अनुदान प्राप्तकर्ता की हो। इन सभी भौतिक पहलुओं पर विचार करते हुए विषेष रूप से सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने वादी के विक्रेताओं के द्वारा उनके पक्ष में पट्टा जारी किया जाना सहायक बंदोबस्त अधिकारी को सूचित किया जाना और इस प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विचारण में लेते हुए निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा यह सही रूप से निष्कर्ष पारित किया गया था कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा एक त्रुटिपूर्ण आदेष पारित किया गया था जिसके आधार पर वादी के विक्रेताओं को कोई अधिकार स्वत्व प्राप्त होता हो। (पैरा 7 और 8) (760-ई-एच 771-बी-सी; एफ-एच; 762-ए; सी)

1.2. प्रतिवादीया का यह रूख कि सुसंगत समय पर वादी का भाई एक गांव का कर्णम था और उसके भाई की नौकरी एवं वृद्धावस्था के आधार पर विक्रय विलेख प्राप्त कर लिया गया, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इन सभी तथ्यात्मक पहलुओं को निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा विचार में लिया गया। उच्चतम न्यायालय के द्वारा केवल इस आधार पर कि रैयतवाडी पट्टा प्राधिकारी के द्वारा गलत रूप से प्राप्त किया गया के आधार पर निर्णय को अपास्त कर दिया गया, त्रुटि कारित की है वास्तव में उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदष बी-19 नोटिस जो कि विक्रेताओं के द्वारा वादी को प्रेषित किया गया विचार में नहीं लिया गया जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था कि उनको पट्टा गलत रूप से दिया गया। (पैरा 9)(762-डी-एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 452/2002.

मद्रास उच्च न्यायालय के के.एस.ए. 45/1985 में अंतिम निर्णय और आदेष दिनांक 22.03.2001 से।

अपीलार्थियों की ओर से बी. श्रीधर, आई. माधवी और के.राम कुमार।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

पी. सदाशिवम, जे.

1. मृतक प्रतिवादीया के विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के द्वितीय अपील संख्या 45/1985 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 22.03.2001 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी।

2. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थी जो यहां वादी है उसके द्वारा स्वत्व घोषणा और प्रतिवादीया के द्वारा उसके कब्जे में दखल से प्रतिषेध किये जाने की निषेधाज्ञा और वादग्रस्त सम्पत्ति के उपभोग और विकल्प में वादग्रस्त सम्पत्ति के कब्जे के लिए वाद दायर किया गया था। वादी के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति वास्तविक रूप् से रामासामी कोनार और उसकी पुत्री नचम्मई से संबंधित थी। पटटा उनके नाम से था और उन्होंने इसका उपभोग किया था वादी ने वाद सम्पत्ति उपरोक्त रामासामी कोनार और उसकी पुत्री से दिनांक 11.09.1978 को 12,300/-रूपये में खरीदा था। खरीदने की दिनांक के पष्चात् से वादी का उस पर कब्जा था प्रतिवादीया के पति ने उपरोक्त रामासामी कोनार से कुछ सम्पत्ति खरीदी थी चूंकि प्रतिवादीया एवं उसके अनुयायियों के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के उपभोग में बाधा कारित की गयी, वादी ने दावा पेश किया।

3. प्रतिवादीया का मामला जैसा कि लिखित कथन में अभिलिखित किया गया कि वादी भूमि के संबंध में बंदोबस्त पट्टा गलत रूप से रामासामी कोनार और नचम्मई को बिना जांच के गलत रूप से जारी किया

गया। इस प्रकार यह कोई स्वत्व का दस्तावेज नहीं था जिससे वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में उनको पट्टा जारी होने पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते। वादी को उसके विक्रेताओं के पक्ष में पट्टा जारी होने के कारण वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में दावा करने हेतु वर्जित किया गया। वादी के पक्ष में विक्रय धोखाधडी, व्यपदेशन और असम्यक असर के आधार पर किया गया था। रामास्वामी कोनार और उसकी पुत्री को वाद सम्पत्ति के संबंध में कोई अधिकार एवं स्वामित्व नहीं था जबकि प्रतिवादिया के पति चैलेया पिल्लई को रामासामी कोनार और उसकी पुत्री के पक्ष में गलत रूप से पट्टा जारी होने की जानकारी हुई तो उसने उसके पक्ष में सम्पत्ति के पट्टे के अंतरण हेतु बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन किया। उक्त रामासामी कोनार सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और यह स्वीकार किया कि उसे उसकी पुत्री नचम्मई को पटटा गलत रूप से जारी हुआ था तथा वाद सम्पत्ति के संबंध में कोई स्वत्व और कब्जा उनको प्राप्त नहीं था उसने वाद सम्पत्ति की रजिस्ट्री अंतरण की स्वीकृति दे दी। प्रतिवादीया और उसके पूर्वज वादग्रस्त सम्पत्ति पर निर्बाध रूप से विहित विधिक अवधि से अधिक समय तक स्वत्व एवं कब्जे में रहे और प्रतिवादी और उनके बच्चों के द्वारा वाद सम्पत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त किया गया था। गांव का कर्णम वादी का भाई है जिसकी

सहायता से वादी ने विक्रय विलेख प्राप्त कर लिया तथा दावा कर दिया उसने वादी के कब्जे के दावे को इंकार किया।

4. विचारण न्यायालय ने दावा 15.10.1982 को डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने निचली अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 1982 के ए.एस. सं. 146 प्रस्तुत की। निर्णय दिनांकित 05.08.1979 के द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विचार में लेते हुए अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर दिया तथा वाद खारिज कर दिया। जिसको प्रश्नगत करते हुए वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 45/1985 पेश की, उच्च न्यायालय के द्वारा वादी का मामला स्वीकार किया गया तथा निचली अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया तथा द्वितीय अपील को स्वीकार कर लिया। इस बीच प्रतिवादीया मर गई और उसके विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा उपरोक्त सिविल अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। केवल मात्र प्रतिवादीया जिस पर इस न्यायालय के नोटिस की पूर्णतः तामील हुई उसके द्वारा अपील को चुनौती नहीं दी गयी।

5. हमने श्री बी.श्रीधर जो कि अपीलार्थी की तरफ से उपस्थित थे, उनको सुना और सुसंगत सामग्री एवं संलग्नकों का परिशीलन किया जो कि अपील के साथ प्रस्तुत किये गये थे।

6. इस अपील में विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है-

(क) क्या उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित तथ्यात्मक निष्कर्षों को सही प्रकार से विचार में लिया गया?

(ख) क्या वादी ने उसके द्वारा क्लेम की गयी डिक्री के संबध में अपना मामला स्थापित किया?

7. अपने मुकदमें के संमर्थन में वादी ने प्रदर्श ए-1 विक्रय विलेख दिनंाकित 11.09.1978 प्रस्तुत किया जिसके आधार पर उसने रामासामी कोनार और नचम्मई से वादग्रस्त सम्पत्ति खरीदी थी दूसरी ओर प्रतिवादीया का यह मामला था कि उसका पति लम्बे समय से वाद सम्पत्ति पर काबिज था और वादी के विक्रेताओं को किसी भी समय वादग्रस्त सम्पत्ति का कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं था वादी ने स्वयं को पी.डब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित कराने के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू-2 के रूप में वेलूसामी को भी परीक्षित कराया जा कि प्रदर्श ए-1 विक्रय विलेख का निष्पादक साक्षी था। इन दोनों व्यक्तियों के अतिरिक्त वीरप्पा पिल्लई को बतौर पी.डब्ल्यू-3 परीक्षित कराया गया है। निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा यह सही रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादीया के द्वारा वाद सम्पत्ति पर वादी का स्वत्व इंकार किया गया है तो यह वादी का बाध्य कर्त्तव्य था कि वह अपना मामला स्वीकार्य साक्ष्य के द्वारा साबित करे। निश्चित रूप से वादी के द्वारा उसके विक्रेताओं को यह दर्शित करवाने के लिए परीक्षित नहीं कराया गया

कि उनको प्रदर्श ए-1 के द्वारा विक्रय के आधार पर सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त हुआ।दूसरी ओर प्रतिवादीया के द्वारा प्रदर्श बी-19 नोटिस वादी के विक्रेताओं रामासामी कोनार एवं नचम्मई के द्वारा प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया कि वाद सम्पत्ति प्रतिवादीया के कब्जे में थी ना कि वादी के विक्रेतओं के। प्रदर्श बी-19 के परिशीलीन के आधार पर निचली अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादीया के द्वारा उपभोग किया गया और उसके पति के द्वारा किश्तें अदा की गयीं और लगातार उपभोग किया गया। निचली न्यायालय के समक्ष इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि रामासामी कोनार एवं नचम्मई जो कि वादी के विक्रेता थे, को गलत रूप से पटटा जारी किया गया था। यह तात्विक पक्ष सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था और वास्तव में सूचित भी किया गया था कि यदि प्रतिवादिया के पति के नाम पट्टा परिवर्तित कर दिया जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। प्रदर्श बी-19 के द्वारा प्रतिवादिया ने यह भी स्वीकार किया था कि उसे बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा जारी किये गये पट्टे की जानकारी नहीं थी। साक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ कि रामासामी कोनार और उसकी पुत्री के द्वारा कभी भी वादी के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया और ना ही रामासामी कोनार की वृद्धावस्था के कारण प्राप्त हुआ। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि तथाकथित नचम्मई को इस प्रकृति के संव्यवहारों की

भलीभांति जानकारी नहीं थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वादी के विक्रेताओं के द्वारा प्रदर्श बी-19 के संबंध में विभिन्न तात्विक पक्षों के संबंध में कोई कार्य किया हो और यहां तक कि किसी प्रकार का प्रतिउत्तर देकर उसको इंकार भी नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में सुसंगत और ग्राह्य सामग्री के आधार पर निचली अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रदर्श ए-1 विक्रय विलेख को धोखा असम्यक असर, व्यपदेशन के आधार पर प्राप्त किया गया।

8. पूर्व के अनुच्छेदों में हमने पहले भी यह कथन किया है कि वादी के विक्रेता वाद सम्पत्ति पर स्वत्व मिलने के आधार पर काबिज नहीं थे। रामासामी कोनार के नाम से पट्टा और अदांगल निष्कर्षों के अतिरिक्त इसमें कोई शक नहीं है कि उसने प्रदर्श ए-7 दिनांकित 24.02.1969 में सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष कार्यवाही संस्थित की। जिससे यह दर्शित होता है कि रामासामी कोनार और नचम्मई के पक्ष में रफ (कच्चा) पट्टा जारी किया गया था। इस संदर्भ में निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा तथ्यों के संबंध में किये गये विश्लेषण को संदर्भ किया जाना सुसंगत है। रैयतवाडी पट्टा जारी करने की कार्यवाही में बंदोबस्त अधिकारी ने ग्रामीणों से आपत्ति मांगे जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी जैसा कि अपीलार्थी अधिवक्ताओं के द्वारा सही रूप से अंकित किया गया था, प्रतिवादिया के पति का नाम फॉर्म-5 में पाया गया। हमारे ध्यान में यह भी

लाया गया कि उपरोक्त कार्यवाहियों की बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा स्वतः राजस्व अभिलेखों को सत्यापित करते हुए 370 मामलों के संदर्भ में और जो कि फॉर्म-5 जो कि प्रतिवादिया के पति को संदर्भ करता है स्वतः जांच की गयी यह तथ्यों की स्थिति प्रतिवादिया के केस/मामले को मजबूत करती है कि उसके पति को वाद सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त हुआ। विभिन्न साक्ष्यों एवं सामग्री के आधार पर वादी के विक्रेताओं के पक्ष में जारी किये गये पट्टे की त्रुटियों के सुधार हेतु सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष एक याचिका प्रदर्श बी-3 दिनांक 29.04.1969 को प्रस्तुत की गयी। केवल इसी संदर्भ में रामासामी कोनार व्यक्तिशः उपस्थित हुआ और अधिकारी को सूचित किया था कि उसे प्रतिवादिया के पति के पक्ष में वाद सम्पत्ति के पट्टे को परिवर्तित कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त पट्टे का दिया जाना दस्तावेज के स्वामित्व के समान नहीं है अधिकतर पट्टे की कार्यवाहियों में तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अपने आदेश के माध्यम से जारी किया गया पट्टा इस बात की साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है जिससे यह दर्शित किया जा सके कि वादग्रस्त सम्पत्ति अनुदानी को प्राप्त हुई हो और उपरोक्त सभी सामग्री को विचार में लेते हुए विशेष रूप से वादी के विक्रेताओं के द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी को यह सूचित किया जाना कि उनके पक्ष में पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है और मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विचार में लेते

हुए निचली अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से यह निष्कर्ष पारित किया कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जिसके आधार पर वादी के विक्रेताओं को किसी प्रकार के अधिकार और स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं जेसा कि रामासामी कोनार और नचम्मई को।

9. प्रतिवादीया का रूख कि सुसंगत समय पर वादी का भाई गांव का कर्णम था वादी की वृद्धावस्था का लाभ उठाते हुए और अपने भाई की नौकरी के आधार पर वादी ने विक्रय विलेख प्राप्त कर लिया हो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों की स्थिति को निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा सही प्रकार से विचारण में लिया गया है जो कि अपील का अंतिम न्यायालय है। ऐसी स्थिति में निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा सम्यक रूप से विचारित निर्णय में उच्च न्यायालय ने रैयतवाडी पट्टे के आधार पर गंभीर विश्वास किया है। हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अपीलीय न्यायालय के सभी पक्षों को विचारण में नहीं लिया है और रैयतवाडी पट्टे के आधार पर निचली अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर त्रुटि कारित की है जबकि उक्त पट्टा संबंधित प्राधिकारी के द्वारा गलती से प्राप्त किया गया था वास्तव में उच्च न्यायालय के द्वारा वादी के विक्रेताओं के द्वारा भेजा गया नोटिस प्रदर्श डी-19 को विचार में नहीं लिया गया जिसमें कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनको पट्टा गलत रूप से जारी किया गया था ऐसी परिस्थितियों में उच्च न्यायालय

द्वितीय अपील को स्वीकार नहीं कर सकता केवल पट्टे की कार्यवाहियों के आधार पर जो कि गलत रूप से प्राप्त की गयी थी।

10. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर हम उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांकित 22.03.2001 जो कि द्वितीय अपील संख्या 45/1985 में पारित किया गया है को अपास्त किया जाता है और निचली अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपील वाद संख्या 146/1982 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांकित 05.08.1983 की पुष्टी की जाती है। यह दीवानी अपील स्वीकार की जाती है। कोई खर्चा नहीं।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनोज कुमार निमोरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।